न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2018 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 01.08.2018
G.C.M.S. NO. :-2018/00160

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

ग्राम सेवा सहकारी समिति विनायका, पटवार मण्डल विनायका, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

उपस्थितिः– 1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 05.07.2024

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मौजा विनायका, तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 297 रकबा 1.10 बीघा किस्म रेछा भूमि जो मेवाड़ सेटलमेन्ट के राजस्व रेकार्ड अनुसार बिलानाम सरकार के नाम दर्ज

प्रकरण संख्या 04/2018 (रेफरेंस)
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी बनाम ग्राम सेवा सहकारी समिति विनायका, तहसील बडीसादडी

थी। उक्त भूमि सम्वत् 2033–36 जमाबंदी अनुसार आराजी नम्बर 297 रकबा 1.10 बीघा नदी–नाले के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि की किस्म नदी–नाला होने से इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता था। आराजी नम्बर 297 रकबा 1.10 बीघा भूमि में से 11 बिस्वा भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम आवंटन से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 के निर्देशानुसार उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम विनायका की मेवाड़ सेटलमेन्ट के राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 297 रकबा 1.10 बीघा किस्म रेछा जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार के नाम दर्ज रेकार्ड थी उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि सम्वत् 2033–36 की जमाबंदी अनुसार आराजी नम्बर 297 रकबा 1.10 बीघा नदी–नाले के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि की किस्म नदी–नाला होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, एवं जलाशय की भूमि पर निजी खाातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 297 रकबा 1.10 बीघा किस्म नदी–नाला होने से उक्त किस्म की भूमि को किसी भी व्यक्ति को कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ आवन्टन नहीं किया जा सकता था। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 297 रकबा 1.10 बीघा से नवीन बन्दोबस्त की आराजी संख्या 457 रकबा 0.12 हैक्टेयर बने जो कि नामान्तरण संख्या 364 दिनांक 11.1981 से ग्राम सेवा सहकारी समिति विनायका के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो विधि–विपरीत होने से उक्त नामान्तरण निरस्त कराये जाने योग्य है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाकर उक्त आराजी को पूर्व किस्म अनुसार अंकन का आदेश प्रदान करावे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया। अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को देखना होता है इसके लिए सम्वत् 2004 की जमाबन्दी की प्रति होना आवश्यक है तथा जो जमाबन्दी

Web Copy - Not Official

की प्रति पत्रावली में संलग्न है वह स्पष्ट दर्शित नहीं होकर लगभग अपठनीय है। अतः पत्रावली मे स्पष्ट रेकार्ड के बिना यह रेफरेन्स निर्णित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन वांछित रेकार्ड के अभाव में खारिज किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी को निर्देशित किया जाता है कि अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण मे देखे जाने हेतु आवश्यक रेकार्ड एवं सुस्पष्ट एवं पठनीय जमाबंदियों की प्रतियां मय मिलान क्षेत्रफल के राजस्व रेकार्ड अनुसार सही रेफरेन्स प्रस्तुत करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official